भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या †2651

दिनांक 09.07.2019/18 आषाढ़,1941 (शक) को उत्तर के लिए

जम्मू और कश्मीर में बहु-एजेंसी निकाय स्थापित करना

†2651. श्री संजय सदाशिवराव मांडलिकः
श्री सुधीर गुप्ताः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का जम्मू और कश्मीर में जम्मू और कश्मीर पुलिस के नेतृत्व में बहु-एजेंसी निकाय (मल्टी-एजेंसी बॉडी) स्थापित करने का विचार है ताकि राज्य में आतंकवाद से जुड़े सभी मामलों की प्रगति की निगरानी के लिए कार्यक्षेत्र का विस्तार किया जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद रोकने के लिए सरकार द्वारा अन्य क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी किशन रेड्डी)

(क) और (ख): जी, हाँ। जम्मू और कश्मीर राज्य में एक बहु-आयामी आतंक निगरानी समूह (टीएमजी) का गठन किया गया है।

टीएमजी का गठन जम्मू और कश्मीर राज्य में आतंक के वित्तपोषण और अन्य आतंकी गतिविधियों के विरुद्ध तालमेलपूर्ण और ठोस कारवाई सुनिश्चित करने के लिए किया गया है।

(ग): सरकार ने आतंकवाद के प्रति जीरो टोलरेंस की नीति अपनाई है। जम्मू और कश्मीर राज्य में आतंकवादी गतिविधियों का मुकाबला करने के लिए सुरक्षा बलों द्वारा प्रभावी कारवाई की जाती है।

सुरक्षा बलों के ठोस और तालमेलपूर्ण प्रयासों की वजह से, राज्य की सुरक्षा स्थिति में इस वर्ष के आरंभ में वर्ष 2018 की समान अवधि की तुलना में सुधार आया है। आतंकवादियों की ओर से होने वाली घटनाओं में 28% की कमी, घुसपैठ में 43% की कमी और स्थानीय भर्ती में 40% की कमी आई है तथा आतंकवादियों को मार गिराने की संख्या में 22% के बढ़ोतरी हुई है।

******